



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 743 राँची, शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 अक्टूबर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-67/2018 का० 6888--श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-432/स्था०, दिनांक-05.07.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध तैतालिस (43) बैंक अन्तरण द्वारा कुल छः करोड़ अड़तालीस लाख रुपये (6,48,00,000 रुपये) की अनधिकृत रूप से निकासी करने, दिनांक 02.11.2017 में अग्नि कांड में रोकड़ पंजी एवं चेकबुक जलने की सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं देने, अग्नि कांड के पश्चात् पूर्व से संचालित 12 (बारह) बैंक खातों के विरुद्ध मात्र 03 (तीन) बैंक खाते की राशि को दर्ज कर नया रोकड़ पंजी खोलने, छात्रवृत्ति मद में प्राप्त राशि गलत तरीके से नाजिर के पारिवारिक सदस्यों के खाते में अंतरित करने एवं श्री मिथलेश मिश्र, (सेवानिवृत्त), प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, चतरा पर एक करोड़ तैतीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ सोलह रुपया (1,33,53,516/-) पूर्व से ही समायोजन हेतु लंबित रहने के बावजूद श्री कुमार द्वारा श्री मिश्र को नियम विरुद्ध तरीके से अठान्बे लाख, चौतीस हजार एक सौ छियालीस रुपये (98,34,146/-) अग्रिम देने सहित कुल-8 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-1071(HRMS), दिनांक 25.07.2018 द्वारा श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-6404, दिनांक 23.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 24.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3 श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं०-434 (HRMS), दिनांक 05.02.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-135, दिनांक 06.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री कुमार विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोपों पर उनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया एवं उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-9203, दिनांक 20.11.2019 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

5. श्री कुमार के पत्र, दिनांक 19.12.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु कतिपय दस्तावेज की माँग की गयी, जिस पर विभागीय पत्रांक-1020, दिनांक 07.02.2020 द्वारा वांछित कागजात उपायुक्त, चतरा के कार्यालय से प्राप्त कर शीघ्र द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित न कर अपने पत्र, दिनांक 03.03.2020 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर लगाये गये आरोपों के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में आपराधिक न्यायालय के निर्णय आने तक मामला स्थगित रखने एवं निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

6. श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-5843, दिनांक 13.11.2020 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से श्री कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर सहमति की माँग की गई।

7. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-38, दिनांक 05.01.2021 द्वारा श्री कुमार को सेवा से बर्खास्त करने पर सहमति प्रदान की गयी है तथा मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 03.02.2021 में उक्त दण्ड अधिरोपण पर स्वीकृति दी गई।

8. तत्पश्चात् विभागीय संकल्प सं०-1490(HRMS), दिनांक 10.02.2021 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया।

9. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1122, दिनांक 24.06.2024 के माध्यम से विभाग को प्राप्त है।

10. श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित अपील आवेदन कालबाधित है। झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के अनुसार आदेश दिये जाने की तिथि से 90 दिनों के अंदर अपील अभ्यावेदन दाखिल करना है, परन्तु श्री कुमार के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पत्रांक-1122, दिनांक 24.06.2024 से विभाग को प्राप्त है। उनके अपील अभ्यावेदन में हस्ताक्षर की तिथि भी अंकित नहीं है। अपील अभ्यावेदन के पार्श्वंकित में तिथि 20.12.2023 अंकित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपील अभ्यावेदन निर्धारित अवधि के काफी विलंब से समर्पित है। विलंब से अपील अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में कोई पर्याप्त कारण भी नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को अंकित किया गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा कारण पृच्छा में समर्पित की गयी है।

11. समीक्षोपरांत, श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील आवेदन की अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-1490(HRMS), दिनांक 10.02.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 27.09.2024 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-1490(HRMS), दिनांक 10.02.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को यथावत् रखा जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
